

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1965}

THE UTTAR PRADESH LABOUR WELFARE FUND ACT, 1965

[U. P. ACT No. XIV OF 1965]

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1965}

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 अप्रैल, 1965 ई. तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रैल, 1965 ई. की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 20 जुलाई, 1965 ई. को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 जुलाई, 1965 ई. को प्रकाशित हुआ।

उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण की प्रोन्नति करने के लिये एक निधि की स्थापना करने तथा उसे व्यवहृत करने से सम्बद्ध विधि को संहत तथा संशोधित करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 कहलायेगा।

शीर्षनाम, प्रसार

इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

संक्षिप्त

तथा प्रारम्भ (2)

(3) यह उस दिनांक² से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

2— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

परिभाषाएं

(1) “परिषद्” का तात्पर्य धारा 4 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् से है;

(2) “कर्मचारी” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी अधिष्ठान में भाड़े या पारितोषिक पर, कोई कुशल या अकुशल, शारीरिक या लिपिक कार्य करने के लिए सेवायोजित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो पर्यवेक्षी कार्य करने के लिये सेवायोजित किया गया हो, यदि उसकी मजदूरी चार सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो;

(3) “सेवायोजक” का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, या तो अपनी ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी अधिष्ठान में एक या अधिक कर्मचारियों को सेवायोजित करता हो और उनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(क) किसी कारखाने में, फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 की धारा 7 (1) (एफ) के अधीन 1948

ऐक्ट संख्या 63,

प्रबन्धक कहलाने वाला कोई व्यक्ति,

(ख) सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा इसके अधीन चलाये जाने वाले किसी अधिष्ठान में, कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिये नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकारी, किन्तु यदि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो, तो सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष,

(ग) किसी अन्य अधिष्ठान में कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए अथवा मजदूरी के भुगतान के लिए अधिष्ठान के स्वामी के प्रति उत्तरदायी कोई व्यक्ति,

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 31 मार्च, 1965 ई. का सरकारी असाधारण गजट देखिये। 2. यह अधिनियम 15 नवम्बर, 1965 से विज्ञप्ति सं. 1908 (एल) (एल)/छत्तीस (डी)-26 (एल-एल) 65, दिनांक 10 नवम्बर, 1965 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी हुआ।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 2}

(4) “अधिष्ठान” का तात्पर्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधिष्ठान (जो कारखाना न हो) से भिन्न, किसी कारखाने, किसी रोपस्थली अथवा किसी ऐसे अन्य अधिष्ठान से है, जिनमें उससे सम्बद्ध अथवा उससे सहायक कोई व्यवसाय या व्यापार अथवा कोई कार्य किया जाता हो और जिसमें उतनी संख्या में, जो समय-समय पर नियत की जाये, व्यक्तियों को सेवायोजित किया जाता हो अथवा पिछले बारह महीने किसी कार्य-दिवस को सेवायोजित किया गया हो,

(5) “कारखाने” का तात्पर्य फ़ैक्ट्रीज ऐक्ट, 1948 की धारा 2 (एम) में यथापरिभाषित से 1948

ऐक्ट संख्या 63,

है,

(6) “निधि” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि से है,

(7) “निरीक्षक” का तात्पर्य धारा 9 के अधीन नियुक्त निरीक्षक से है,

(8) “श्रम कल्याण आयुक्त” का तात्पर्य धारा 8 के अधीन नियुक्त श्रम कल्याण आयुक्त से है,

(9) “नियत” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है,

(10) “विनियम” तथा “नियम” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये क्रमशः विनियमों तथा नियमों से है,

(11) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(12) “अदत्त संचय” का तात्पर्य ऐसी समस्त धनराशियों से है जो कर्मचारियों को देय हों, किन्तु जिनका भुगतान देय होने के दिनांक से [दो वर्ष]¹ की अवधि के भीतर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् उन्हें न किया गया हो, और इसके अन्तर्गत सेवायोजक द्वारा उनको देय मजदूरी, उपदान तथा गृह-भत्ता, यदि कोई हो, भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इम्प्लाइज प्राविडेंट फंड्स ऐक्ट, 1952 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में सेवायोजक द्वारा दिये गये अंशदान की धनराशि यदि कोई हों, नहीं है, और

(13) “मजदूरी” का तात्पर्य धनराशि के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है, जो अभिव्यक्त या अन्तर्निहित संविदा अथवा सेवायोजन को शर्त पूरी की जाने की दशा में, किसी सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के अथवा ऐसे सेवायोजन में दिये गये कार्य के संबंध में देय होगा, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :-

(क) (1) किसी आवास स्थान, रोशनी, जल-सम्भरण अथवा चिकित्सा सुविधाओं, या

(2) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अपवर्जित किसी अन्य सुविधा या सेवा का मूल्य, या

(ख) किसी सेवायोजक द्वारा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि में अथवा सामाजिक-बीमा या किसी योजना के अन्तर्गत दिया गया कोई अंशदान, या

(ग) कोई यात्रा-भत्ता अथवा यात्रा संबंधी रियात, या

(घ) कोई धनराशि जो सेवायोजित व्यक्ति को उसके सेवायोजन के कारण उस पर हुए विशेष व्ययों को पूरा करने के लिये भुगतान की गयी हो, या

(ङ) सेवान्मुक्ति पर देय कोई उपदान।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा

3-4}

निधि तथा परिषद् की स्थापना

3— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार एक कल्याण

उत्तर प्रदेश श्रम

निधि की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश में कल्याण निधि कहलायेगी।

निधि की स्थापना

(2) निधि में निम्नलिखित होंगे :—

- (क) कर्मचारियों से वसूल किये गये अथवा उनके द्वारा देय सभी अर्थ—दंड,
- (ख) धारा 6 के अधीन निधि को संक्रमित अदत्त संचय,
- (ग) उपधारा (3) के अधीन निधि को संक्रमित कोई धनराशि,
- (घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान,
- (ङ) किसी व्यक्ति द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अंशदान,
- (च) धारा 14 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि, और
- (छ) कोई अन्य धनराशि, जो निधि को भुगतान की गयी हो अथवा भुगतान योग्य हो।

(3) यदि किसी अधिष्ठान के सेवायोजक द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई धनराशि अलग रखी जाय अथवा कोई निधि स्थापित की जाय तो वह, सेवायोजक के अनुरोध पर और राज्य सरकार के अनुमोदन से, निधि को संक्रमित की जा सकती है।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे रीति से जमा की जायगी, जो नियत की जाय।

4— (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, उसके

परिषद् का संघटन,

गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् कार्यकाल और कहलाएगी।

सदस्यों का

अर्हताएं

(2) परिषद् उपर्युक्त नाम से सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी, उसे चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का अर्जन करने तथा बेचने का अधिकार होगा और वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

- (क) एक अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जायगा,
- (ख) सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के बराबर—बराबर संख्या में उतने प्रतिनिधि, जो नियत किए जायें और जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत किये जायें नाम—निर्दिष्ट किए जायेंगे,
- (ग) महिला सदस्यों को मिलाकर उतनी संख्या में, जो नियत की जायें, स्वतंत्र सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किए जायेंगे, और
- (घ) परिषद् के पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए श्रम कल्याण आयुक्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी।

[उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965]

[धारा 5—6]

(4) परिषद् के अध्यक्ष तथा उपधारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नाम—निर्दिष्ट किसी सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा, जो गजट में नाम निर्देशन के विज्ञापित किए जाने के दिनांक से प्रारम्भ होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए नाम—निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि, उस सदस्य के शेष कार्य—काल के लिए होगी, जिसकी रिक्ति में वह नाम—निर्दिष्ट किया जाय।

(5) कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग—पत्र दे सकता है, और उक्त त्याग—पत्र के स्वीकार हो जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(6) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ता, यदि कोई हो, वही होगा, जो नियत किया जाय। [(7) परिषद् की किसी बैठक की गणपूर्ति परिषद् के तत्समय सदस्यों की कुल

संख्या के पंचमांश से होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जब बैठक में गणपूर्ति के न होने पर किसी कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक हो जाय, तथा अध्यक्ष किसी अन्य दिनांक के लिए बैठक को स्थगित करेगा और गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित की गई कार्यवाही का सम्पादन ऐसे दिनांक को, या बैठक के लिए किसी अनुवर्ती दिनांक के लिए अग्रतर स्थगित किए जाने की दशा में, उस अनुवर्ती दिनांक को किया जायगा, भले ही उपस्थित सदस्यों की संख्या में कोई कमी हो।¹

5— (1) कोई भी व्यक्ति, परिषद के सदस्य के रूप में न तो नाम—निर्दिष्ट किया निष्कासन जायगा और न बना रहेगा, यदि वह—

अनर्हताएं तथा

- (क) परिषद् का वैतनिक आधिकारिक हो; या
- (ख) किसी समय दिवालिया निर्णीत किया गया हो; या
- (ग) विकृत चित्त का हो; या
- (घ) नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो।

(2) राज्य सरकार किसी सदस्य को उनके पद से हटा सकती है —

- (क) जिसमें उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अनर्हता हो अथवा हो गई हो; या
- (ख) जो परिषद् की लगातार तीन से अधिक बैठकों में परिषद् की अनुमति के बना अनुपस्थित रहा हो; या

(ग) जो धारा (4) की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम—निर्दिष्ट सदस्य होने की दशा में, अपने नाम निर्देशन की शर्तों को अब पूरा न करता हो।

अध्याय 3,

अदत्त संचय और निधि की प्रयुक्ति

6— (1) तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि या किसी संविदा या संलेख में किसी उनके बात के होते हुए भी, परिषद् को समस्त अदत्त संचयों का भुगतान किया जायगा, जो उसके लिए तब तक एक पृथक लेखा रखेगी जब तक कि उसके सम्बन्ध में दावों का इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन निर्णय न हो जाय।

अदत्त संचय और
संबंध में दावा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 6}

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् को भुगतान किए गए अदत्त संचय से सेवायोजक, उसके सम्बन्ध में केवल उतनी धनराशि की सीमा तक जितनी धनराशि का भुगतान इस प्रकार परिषद् को किया जाय, दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा और कर्मचारियों या उनके विधिक प्रतिनिधियों को उपर्युक्त सीमा तक भुगतान करने का दायित्व इस धारा के अनुवर्ती उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् को संक्रमित किया गया समझा जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन परिषद को किन्हीं अदत्त संचयों का भुगतान होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र परिषद नोटिस द्वारा, जिसमें नियत रीति से सभी ब्योरे होंगे और जो उपधारा (4) में निर्धारित रीति से प्रकाशित किया जायगा और जो, यथास्थिति, कर्मचारिर्वर्ग या उनके विधिक प्रतिनिधियों से कोई ऐसा भुगतान करने के लिए दावे आमन्त्रित करेगी, जो परिषद् को इस प्रकार भुगतान किए गए अदत्त संचय में से उनको देय हो।

{(4) परिषद को अदत्त संचय का भुगतान किए जाने के दिनांक से छः मास की अवधि में कम से कम तीन मास में एक बार, उपधारा (3) के अधीन नोटिस—

(क) उस अधिष्ठान के, जिसमें अदत्त संचय उपार्जित हुए हों, सूचना—पट्ट पर प्रदर्शित की जायगी;

(ख) कर्मचारी को उसके स्थाई पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी, और

(ग) सम्बद्ध अधिष्ठान के ट्रेड यूनियन को, यदि कोई हो, दी जायगी, यदि कर्मचारी उसका सदस्य रहा।¹

(5) यदि यह प्रश्न उठे कि उपधारा (3) में उल्लिखित नोटिस, उपधारा (4) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया गया था अथवा नहीं तो परिषद् का यह प्रमाण—पत्र कि वह इस प्रकार प्रकाशित किया गया था, निश्चायक होगा।

(6) यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में {प्रथम नोटिस के दिनांक से एक वर्ष के भीतर}²

ऐक्ट संख्या 4,

अदत्त संचय की किसी धनराशि के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त हो तो वह दावा परिषद् द्वारा पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 की धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी को, जिसका क्षेत्राधिकार उस क्षेत्र पर हो, जिसमें अधिष्ठान स्थित हो, संक्रमित कर दिया जायगा और वह दावे की सुनवाई करेगा और उसे अवधारित करेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन प्रस्तुत किसी दावे की सुनवाई करने वाले प्राधिकारी को वही 1908

ऐक्ट संख्या 5,

अधिकार होंगे, जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित होते हों, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसका ब्यान लेना,

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, और

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियत किए जायें।

(8) यदि उपर्युक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि अदत्त संचय में से किसी धनराशि के सम्बन्ध में दावा वैध है तो वह यह आदेश देगा कि ऐसी धनराशि का भुगतान परिषद् द्वारा ऐसे आदेश में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों को कर दिया जाय और तदुपरान्त परिषद् तदनुसार भुगतान करेगी। प्राधिकारी का निर्णय, उपधारा (9) के अन्तर्गत किसी अपील के, यदि कोई हो, निर्णय के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 4 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 4 (दो) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 7}

(9) यदि अदत्त संचय में से भुगतान करने का दावा अस्वीकार कर दिया जाय तो दावेदार को उस जिले के, जिसमें अधिष्ठान स्थित है, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील प्राधिकारी के आदेश के दिनांक से 60 दिन के भीतर की जा सकेगी। ऐसी अपील पर जिला न्यायाधीश का निर्णय अन्तिम होगा।

(10) अदत्त संचय में से, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (3) के अधीन दावे आमन्त्रित किए गए हों, वह धनराशि, जिसके लिए उपधारा (6) के अधीन निर्दिष्ट समय के भीतर कोई भी दावा न किया गया हो अथवा जिसके सम्बन्ध में उक्त रीति से प्रस्तुत दावों को अन्तिम रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो परित्यक्त सम्पत्ति समझी जायगी और वह स्वामीहीनत्व के रूप में राज्य में निहित हो जायगी और उसे निधि में संक्रमित तथा उसका भाग समझा जायगा।

7— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निधि, परिषद् में लिए

वे प्रयोजन, जिनके

निहित और उसी के द्वारा धृत होगी तथा प्रयुक्त की जायगी।
किया जा

निधि का प्रयोग
सकेगा

(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नलिखित पर व्यय करने के लिए निधि की धनराशि का उपयोग सकती है; अर्थात्—

(क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केन्द्र, जिसके अन्तर्गत वाचनालय तथा पुस्तकालय भी हैं,

(ख) सार्वजनिक स्नान—गृह तथा धुलाई स्थल,

(ग) चिकित्सा सहायता तथा स्वास्थ्य लाभ—गृह,

(घ) महिलाओं तथा बालकों के लिए शैक्षिक सुविधाएं और प्रौढ़ शिक्षा,

(ङ) खेल—कूद,

(च) विहार, पर्यटन तथा अवकाश—गृह,

(छ) मनोरंजन तथा अन्य प्रकार के विनोद,

(ज) महिलाओं तथा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गृह उद्योग तथा सहायक धंधे,

(झ) परिषद् के सदस्यों के भत्ता तथा परिषद् के अधिकारियों और अन्य सेवकों के वेतन तथा भत्ते,

(ञ) ऋणदान, उपभोक्ता और बहुप्रयोजनीय सहकारी समितियों की स्थापना,

(ट) सामाजिक प्रकार के संगठित कार्य—कलाप,

(ठ) खाद्य—पदार्थों को तैयार तथा प्रक्रिया करने के लिए सुविधाएं,

(ड) आवास की सुविधाओं और उसके सुधार की व्यवस्था,

(ढ) ऐसे अन्य उद्देश्य, जिनसे परिषद् की राय में, श्रमिकों के रहन—सहन में सुधार हो ;

{[ण] धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन नोटिस को तामील करने और उसके प्रकाशन पर, ऐसे अधिकतम प्रतिशत तक, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करे :}।

प्रतिबन्ध यह है कि निधि का उपयोग किसी ऐसे कार्य में धन लगाने के लिए न किया जायगा, जिसे किसी सेवायोजन को तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कार्यान्वित करना अपेक्षित हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 7क—9}

(3) परिषद् राज्य सरकार के अनुमोदन से, किसी सेवायोजन, स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को श्रम कल्याण के किसी ऐसे कार्य की सहायता के निमित्त, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुमोदित हो, निधि में से अनुदान दे सकती है।

(4) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई विशिष्ट व्यय निधि के नाम लिखने योग्य है अथवा नहीं तो वह मामला राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा और राज्य सरकार का उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(5) परिषद् के लिए यह वैध होगा कि वह कर्मचारियों के कल्याण के लिए सेवायोजक द्वारा अलग रखी गई किसी धनराशि से अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी निधि से वित्तपोषित किसी कार्य को, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, जारी रखे, यदि ऐसी धनराशि या निधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन परिषद् को संक्रमित कर दी जाय।

{7—क— परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अग्रिम

अदत्त संचय से

नोटिस के प्रकाशन पर कर्मचारियों का दावा आमंत्रित करने में होने वाले व्यय को चुकाने के प्रयोजनार्थ अदत्त संचय से, उसके पांच प्रतिशत से अनधिक की धनराशि का आहरण कर सकती है।}

अध्याय 4

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिकार

8— (1) श्रम कल्याण आयुक्त, परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और राज्य आयुक्त तथा

श्रम कल्याण

सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कल्याण
और

अपर या उपश्रम
आयुक्त की नियुक्ति
अधिकार

(2) श्रम कल्याण आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध यथाविधि कार्यान्वित किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए उसे इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से सुसंगत, ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उचित समझे। इसके अन्तर्गत इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन परिषद् द्वारा लिए गए किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई आदेश भी है।

(3) राज्य सरकार, श्रम विभाग के एक या अधिक अधिकारियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पदेन या पूर्णकालिक अपर या उप—श्रम कल्याण आयुक्त नियुक्त कर सकती है। ऐसे अपर या उप—श्रम कल्याण आयुक्त इस अधिनियम के

अधीन ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेंगे, जो परिषद्, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। परिषद् ऐसी स्थानीय सीमायें भी निर्धारित कर सकती है, जिनके भीतर ऐसा कोई अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त इस प्रकार निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का सम्पादन करेगा।

9— (1) राज्य सरकार, निधि में दिये गये अथवा देय धन के सम्बन्ध में अभिलेखों का नियुक्ति

निरीक्षकों की

निरीक्षण करने के लिये सम्पूर्ण राज्य अथवा उसके भीतर किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये एक या अधिक निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 वर्ष 1978 की धारा 6 (एक) द्वारा प्रतिस्थापित।

[उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965]

[धारा 10—15]

(2) निरीक्षक —

(क) ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जो वह उचित समझें किसी उचित समय पर निरीक्षण के लिये किसी अधिष्ठान के किसी भू-गृहादि में प्रदेश कर सकता है; और

(ख) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, जो नियत किये जायें।

10— ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो तदर्थ नियत की जायें, परिषद् ऐसे अन्य तथा

अन्य अधिकारियों

अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह अपने कृत्यों का दक्षता से नियुक्ति पालन करने के लिए आवश्यक समझें।

कर्मचारियों की

11— परिषद् के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा की

कर्मचारियों की सेवा

शर्तें, जिसके अन्तर्गत वेतन-क्रम भी है —

शर्तें

(क) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्तों और निरीक्षकों के सम्बन्ध में वही होगी, नियत की जायें; और

(ख) धारा 10 के अधीन नियुक्त अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में वही होगी, जो विनियम द्वारा अवधारित की जायें।

अध्याय 5

निधि का प्रशासन और लेखे तथा लेखा परीक्षा

12— निधि का प्रशासन तथा प्रशासन ऐसी रीति से किया जायेगा, जो नियत की

निधि का प्रशासन

जाय।

प्रबन्ध

13— यदि निधि के धन को अधिनियम के प्रयोजनार्थ शीघ्र अपेक्षित न हो तो, परिषद् ऐक्ट

निधि का विनियोजन

उसे इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 की धारा 20 के खण्ड से (डी) और (एफ) में निर्दिष्ट किन्हीं प्रतिभूतियों में विनियोजित सकती है।

सं. 2, 1882

14— परिषद्, समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, और इस अधिनियम लेने का

परिषद् का ऋण

तथा तदधीन, बनाये गये नियमों के उपबन्धों और ऐसी अन्य शर्तों के, जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाये, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कोई ऋण ले सकती है।

अधिकार

15— (1) परिषद् निधि के सम्बन्ध में ऐसे लेखा बही तथा अन्य अभिलेखों को परीक्षा

लेखे तथा लेखा

रखवायेगी, जो नियत किये जायें।

(2) परिषद् अपने वार्षिक लेखा बन्दी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से तैयार करेगी, जो नियत की जायें।

(3) निधि, किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी लेखा-परीक्षा, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

परिषद्, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और उस पर की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को देगी।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 16-22}

16— राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष जून के महीने में अथवा तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बद्ध परिषद् के लेखों का एक विवरण पत्र और उसके कार्यों का एक प्रतिवेदन गजट में प्रकाशित करेगी।

लेखों तथा व्यय का प्रकाशन

अध्याय 6

विविध

17— इस अधिनियम के अधीन निधि में देय कोई धनराशि, वसूली की किसी अन्य धनराशियों की

निधि में देय

रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की ओर से मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी।

वसूली की रीति

18— (1) राज्य सरकार, समय-समय पर परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, परिषद्

राज्य सरकार द्वारा

जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों।

को निर्देश

(2) परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार से प्राप्त निदेशों का पालन करें।

19— (1) यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय कि परिषद् ने इस अधिनियम परिषद्

कतिपय दशाओं में

द्वारा अथवा इसके अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में चूक की है अथवा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, परिषद् का अतिक्रमण कर सकती है :

का अतिक्रमण

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् का अतिक्रमण विज्ञापित करने के पूर्व, राज्य सरकार, यह कारण बताने का कि क्यों न उसका अतिक्रमण कर दिया जाय, उसे उचित अवसर देगी और परिषद् के स्पष्टीकरण तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) अतिक्रमण हो जाने के पश्चात् जब तक कि परिषद् नियत रीति से पुनः संगठित न हो जाय, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का संपादन ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारियों द्वारा किया जायगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें।

20— परिषद् के सदस्य, श्रम कल्याण आयुक्त तथा परिषद् के अन्य सभी अधिकारी श्रम

परिषद् के सदस्य

और सेवक, इंडियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जायेंगे।

कल्याण आयुक्त तथा परिषद्

21— कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य करने

सद्भावना के कार्य

के लिए नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या किसी नियम अथवा तद्धीन दिये अथवा संरक्षण

वाले व्यक्तियों का

दिये गये समझे गये किसी आदेश के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत हो।

22— परिषद् के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से न तो आपत्ति तथा

परिषद् के कार्यों

की जायेगी और न वह अवैध समझी जायगी कि उसमें कोई रिक्ति थी अथवा उसके संगठन में वैधता

कार्यवाहियों की

कोई दोष था या बाद में यह पता चले कि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उसकी कार्यवाहियों में उपस्थित था, उसने मत दिया या अन्य प्रकार से भाग लिया था।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 23-25}

23— उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट, 1936 को 1936

अधिनियम संख्या 4,

धारा 8 की उपधारा (8) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—

“प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कारखाने अथवा अधिष्ठान की दशा में जिस पर उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 लागू होता हो, ऐसी समस्त वसूलियां उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित निधि में जमा की जायेंगी।”

24— राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, परिषद् अथवा	राज्य सरकार
की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा का	प्राधिकृत अधिकारी
उनका निरीक्षण कर सकता है और परिषद् को ऐसे आदेश दे सकता है, जो वह इष्टकर मंगाने का	अभिलेख आदि अधिकार
समझे।	

25— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिकार	नियम बनाने का
गजट में विज्ञप्ति द्वारा और पूर्व प्रकाशन के शर्तों के अधीन रहते हुए नियम बना सकती है।	

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी विषयों अथवा किसी एक की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट धनराशियां जमा करने की रीति,
- (ख) परिषद् में सेवायोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या और उनके नाम-निर्देशन की रीति तथा शर्तें,
- (ग) परिषद् में स्वतंत्र परिषद् सदस्यों की, जिसके अन्तर्गत महिला सदस्य भी हैं, संख्या ,
- (घ) परिषद् के सदस्यों को देय भत्ते,
- (ङ) अदत्त संचय सम्बन्धी दावों की जांच में धारा 6 में उल्लिखित प्राधिकारी के अधिकारों से सम्बद्ध विषय,
- (च) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप-श्रम कल्याण आयुक्त और निरीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें,
- (छ) शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, परिषद् के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त किये जायें,
- (ज) निधि का प्रबन्ध करने के लिए किये गये व्यय का भुगतान करने की प्रक्रिया,
- (झ) निरीक्षकों के कर्तव्य तथा अधिकार,
- (ञ) परिषद् के अधिकारों तथा कृत्यों का श्रम कल्याण आयुक्त, अपर या उप-श्रम कल्याण आयुक्त को प्रतिनिधान तथा ऐसी शर्तों और प्रतिबन्ध, जिनके अधीन रहते हुए, उनके द्वारा अधिकारों का प्रयोग या कृत्यों का सम्पादन किया जा सके,
- (ट) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख,
- (ठ) वार्षिक लेखा विवरण-पत्र और निधि से वित्तपोषित कार्यों के प्रतिवेदन का प्रकाशन,
- (ड) कोई अन्य विषय, जिसे अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जाय।

{उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965}

{धारा 26—27}

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि

पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों में पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

26— (1) परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस विनियम अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है —

(क) परिषद् के कार्य संचालन से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ख) अदत्त संचयों के सम्बन्ध में दावे आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित करने की रीति;

(ग) श्रम कल्याण आयुक्त, अपर श्रम कल्याण आयुक्त, उप श्रम कल्याण आयुक्त तथा निरीक्षकों को छोड़कर, परिषद् के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति तथा शर्तें; और

(घ) कोई अन्य विषय, जिसकी व्यवस्था विनियम द्वारा की जानी हो अथवा की जा सकती हो।

27— उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1956 निरस्त किया जाता है।
अधिनियम
1956 का

उत्तर प्रदेश
संख्या 37,
निरसन

THE UTTAR PRADESH LABOUR WELFARE FUND ACT, 1965¹

[U. P. ACT No. XIV OF 1965]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 21, 1965 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 29, 1965.]

Received the assent of the President on July 20, 1965 under Article 201 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated July 26, 1965.]

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to the establishment and operation of a fund for promoting welfare of labour in Uttar Pradesh.

It is hereby enacted in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I

PRELIMINARY

- | | | |
|-------------------------|----|---|
| Short title, | 1. | (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965. |
| extent and commencement | | (2) It extends to the whole of Uttar Pradesh. |
| | | (3) It shall come into force on such date ² as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in this behalf. |
| Definitions | 2. | In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context— |
| | | (1) "Board" means the Uttar Pradesh Labour Welfare Board constituted under section 4; |
| | | (2) "employee" means any person who is employed, in or establishment for hire or reward to do any work skilled, unskilled, manual or clerical and |

also includes a person so employed to do any supervisory work If his wages do not exceed four hundred rupees per month;

- (3) “employer” means any person who employs either directly or through another person either on behalf of himself or any person one or more employees in an establishment and includes-

(a) in a factory, any person named under section 7(1)(f) of the Factories Act, 1948, as a manager;

(b) in an establishment carried on by or under the authority of the Government, the person or authority appointed for the supervision and control of employees and where no person or authority is so appointed, the Head of the Department concerned ;

(c) in any other establishment, any person responsible to the owner of the establishment for the supervision and Control of the employees or for the payment of wages;

2.The Act came into force w.e.f. November 16, 1965 in the whole of Uttar Pradesh vide notification no. 1698 (LL)XXXVI (D)-263 (LL)-65, dated Nov. 10, 1965.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]

[Section 2]

- (4) “establishment” means a factory, a plantation or any other establishment, other than an establishment (not being a factory) of the Central or the State Government, which carries on any business or trade or any work in connexion with or ancillary thereto and which employs or on any working day during the preceding twelve months employed such number of persons as may be prescribed from time to time;

- (5) “factory” means a factory as defined in section 2(m) of the Factories Act, 1948;

- (6) “Fund” means the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund established under section 3;

- (7) “Inspector” means Inspector appointed under section 9 ;

- (8) “Labour Welfare Commissioner” means the Labour Welfare Commissioner appointed under section 8 ;

- (9) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

- (10) “regulations” and “rules” respectively mean the regulations and rules made under this Act ;

- (11) “State Government” means the Government of Uttar Pradesh;

- (12) “unpaid accumulations” means all sums due to the employees but not paid to them within a period of [two years]¹ from the date on which they become due, whether before or after the Commencement of this Act, including wages, gratuity and house allowance, if any, payable to them by the employer, but not including the amount of contribution, if any, paid by an employer, to provident fund established under the Employees Provident Funds Act, 1952 ; and

- (13) “wages” means all remuneration capable of being expressed in terms of money which would, if the terms of contract of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment’ or of work done in such employment, but does not include --

- (a) the value of---

(i) any house accommodation, supply of light, or water or medical facilities; or

(ii) any other amenity or any service excluded in this behalf by a general or special order of the State Government; or

(b) any contribution paid by the employer to any pension fund or provident fund or under any scheme of social insurance; or

(c) any traveling allowance or any traveling concession; or

(d) any sum paid to the person employed to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment; or

(e) any gratuity payable on discharge.

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 17 of 1978.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
4]

[Section 3-

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF FUND AND BOARD

Establishment 3. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government of U.P. Labour Welfare Fund. shall establish a fund to be called the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund.

Welfare Fund

consist of --

(2) The Fund shall

(a) all fines realised from or payable by the employees;

(b) unpaid accumulations transferred to the Fund under section 6 ;

(c) any amount transferred to the Fund under sub-section (3);

(d) any grants made to the Fund by the State Government;

(e) any voluntary donation or contribution made to the fund by any person;

(f) any sums borrowed under section 14; and

(g) any other money paid or payable into the Fund;

(3) If any amount is set apart or any fund is established by the employer of an establishment for the welfare of the employees thereof, the same may, on the request of the employer and with the approval of the State Government be transferred to the Fund.

(4) The sums specified in sub-section (2) shall be collected in such manner as may be prescribed.

Constitution of 4. (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the State Government Board, and shall, by notification in the gazette, establish a Board to be called the Uttar term of its Pradesh Labour Welfare Board, members

(2) The Board shall be a body corporate with the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to, acquire and hold property, both movable and immovable, and may sue and be sued by that name,

(3) The Board shall consist of the following: ---

(a) a Chairman to be nominated by the State Government;

(b) such equal number of representatives of employees and employers as may be prescribed, to be nominated by the State Government in such manner and subject to such conditions as may be prescribed;

(c) such number of independent members including women members as may be prescribed, to be nominated by the State Government; and

(d) the Labour Welfare Commissioner or any other officer nominated by the State Government, to act as *ex-officio Member-Secretary* to the Board.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
6]

[Section 5-

- (4) The term of the Chairman or any other members of the Board nominated under clause (b) or clause (c) of sub-section (3) shall be three years commencing on the date on which the nomination is notified in the Gazette :

Provided that the term of office of a member nominated to fill a casual vacancy shall be the remainder of the term of the member against whose vacancy he is nominated.

- (5) A member may resign his office by giving notice thereof in writing to the State Government, and on such resignation being accepted, such member shall be deemed to have vacated his office.

- (6) The allowances, if any, payable to the members of the Board shall be such as may be prescribed.

- [(7) The quorum to constitute a meeting of the Board shall be one-fifth of the total number, of members of the Board for the time being :

Provided that when it becomes necessary to postpone any, business at the meeting for want of quorum, the Chairman shall adjourn the meeting to another date, and the business postponed for want of the quorum shall be transacted on such date, or, in the event of a further adjournment of the meeting to a subsequent date, on such subsequent date, notwithstanding any deficiency in the number of members present.]¹

Disqualification 5.
Board -s and removal

- (1) No person shall be nominated or shall continue to be a member of the Board if he-
- (a) is a salaried official of the Board ; or
 - (b) has at any time been adjudged insolvent;
 - (c) is of unsound mind; or
 - (d) has been convicted of an offence involving moral turpitude.
- (2) The State Government may remove from office any member who-
- (a) is or has become subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1) ; or
 - (b) remains absent without leave of the Board at more than three consecutive meetings of the Board; or
 - (c) in the Case of a member nominated under clause (b) of sub-section (3) of section 4, no more fulfils the conditions of his nomination.

CHAPTER III**UNPAID ACCUMULATIONS AND APPLICATION OF FUND**

Unpaid 6. (1) Notwithstanding anything contained in any other law in the time being
in accumulations force or in any contract or instrument, all unpaid accumulations shall
be paid and claims to the Board which shall keep a separate account therefor until
claims thereto thereto have been decided under the succeeding provisions of this
section.

1. Substituted by section 3 of U.P. Act No. 17 of 1978.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]

[Section 6]

(2) The unpaid accumulations paid to the Board under sub-section (1) shall discharge the employer of the liability in respect thereof but to the extent only of the amount so paid to the Board, and the liability to make that payment to the employees or their legal representative to the extent aforesaid shall, subject to the succeeding provisions of this section, be deemed to be transferred to the Board.

(3) As soon as may be after the payment of any unpaid accumulations to the Board under sub-section (1), the Board shall, by notice, which shall contain all such particulars as may be prescribed, and which shall be published in the manner laid down in sub-section (4), invite claims by employees or their legal representatives, as the case may be, for any payment due to them out of the unpaid accumulations so paid to the Board.

[(4) At least once in three months, the notice under sub-section (3) shall, during a period of six months from the date of the payment of the unpaid accumulations to the Board, be-

(a) exhibited on the notice board of the establishment in which the unpaid accumulations were earned;

(b) sent to the employee, by registered post, at his permanent address; and

(c) given to the trade union, if any, of the concerned establishment, if the employee was member thereof.]¹

(5) If any question arises whether the notice referred to in sub-section (3) was published as required by sub-section (4), certificate of the Board that it was so published shall be conclusive.

Act No. IV of 1936

(6) If a claim in respect of any amount of unpaid accumulations is received [within one year from the date of the first notice]² in respect of such amount, the claim shall be transferred by the Board to the authority appointed under section 15 of the Payment of Wages Act, 1936, having jurisdiction in the area in which the establishment is situated, which shall proceed to hear and determine the claim.

Act No. V of
1908

(7) The authority hearing any claim filed under sub-section (6) shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, when trying a suit, in respect of the following matters; namely-

(a) summoning and enforcing the attendance of fully person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of documents and

(c) any other matters which may be prescribed.

- (8) If the authority aforesaid is satisfied that a claim in respect of any amount out of the unpaid accumulations is valid, it shall order that such amount shall be paid by the Board to the person or persons mentioned in such order and thereupon the Board shall make the payment accordingly. The decision of the authority, subject to the result of appeal, if any, under sub-section (9) shall be final.

1.Substituted by section 4(i) of U.P. Act No. 17 of 1978.

2.Substituted by section 4(ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]

[Section 7]

- (9) If a claim for payment out of the unpaid accumulations is refused the claimant shall have a right of appeal before the District Judge of the District in which the establishment is situate. The appeal shall lie within sixty days from the date of the order of the authority. The decision of the District Judge in such appeal shall be final.

- (10) Out of the unpaid accumulations in respect of which claims have been invited under sub-section (3), the amount for which no claim has been made within the time specified in sub-section (6) or in respect of which the claims filed as aforesaid have been finally rejected, shall be deemed to be the abandoned property and shall vest in the State as *bona vacantia* and shall be deemed to be transferred to and form part of the Fund.

Purposes for
out which Fund
may be utilized

7. (1) The Fund shall vest in, and be held and applied by, the Board for carrying the purposes of this Act.

Fund

- (2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the moneys in the may be utilized by the Board for the benefit of the labour to defray expenditure on the following, namely--

and

- (a) community and social education centres including reading rooms libraries;

adults;

- (b) public baths and washing places;
(c) medical relief and convalescent homes
(d) educational facilities for women and children and education of
(e) games and sports ;
(f) excursions, tours and holiday homes ;
(g) entertainment and other forms of recreations
(h) home industries and subsidiary occupations for women and unemployed persons ;

allowances

- (i) allowances of the members of the Board and the pay and of the officers and other employees of the Board;

societies;

- (j) setting up credit, consumers and multipurpose co-operative
(k) corporate activities of a social nature ;
(l) facilities for preparation and processing of food materials ;
(m) provision of housing facilities and their improvements;
(n) such other objects as would, in the opinion of the Board, improve the conditions of living of labour;

Government

- [(o) subject to a maximum of such percentage as the State may by notification specify, on the service and publication of notice under sub-section (4) of section 6 :]

Provided that the fund shall not be utilized in financing any measure which any employer is required under any law, for the time being in force, to carry out.

1. Substituted by section 5 of U.P. Act No. 17 of 1978.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
7A-9]

[Section

- (3) The Board may, with the approval of the State Government, make n grant out of the Fund to any employer, any Local Authority or any other body in aid of any such activity for the welfare of labour as may be approved by the State Government in this behalf.
- (4) If any question arises whether any particular expenditure is or is not debatable to the Fund, the matter shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.
- (5) It shall be lawful for the Board to continue, subject to approval of the State Government, any activity financed from any amount set a part by any employer, or from any fund established by him, for the welfare of the employees, if such amount or fund is transferred to the Board under sub-section (3) of section 3.

[Advance from 7-A The Board may with the previous approval of the State Government unpaid withdraw, out of the unpaid accumulations, an amount not exceeding five accumulations percent thereof for the purposes of defraying the expenditure in inviting claims of the employees on publication of notice under sub-section (4) of section 6.]¹

CHAPTER IV

APPOINTMENT AND POWERS OF OFFICERS AND STAFF

- Appointment 8. (1) The Labour Welfare Commissioner shall be the Principal Executive Officer of and powers of the Board and shall be appointed by the State Government.
- labour Welfare Commissioner (2) The Labour Welfare Commissioner shall ensure that the provisions of this Act and additional and the rules made thereunder are duly carried out and for this purpose he or deputy shall have the power to issue such orders, not inconsistent with the provisions Labour of this Act and the rules made thereunder, as he deems fit including any order Welfare implementing the decision taken by the Board under this Act or the rules Commissioner made thereunder.
- (3) The State Government may appoint one or more officers of Labour Welfare Department or any other person or persons as *ex-officio* or whole time Additional or Deputy Labour welfare Commissioner. Such Additional or Deputy Labour welfare Commissioner shall, under the supervision and direction of the Labour welfare Commissioner, exercise and discharge such powers and functions of the Labour welfare Commissioner under this Act as the Board may, with the approval of the State Government by order specify. The Board may define the local limits within which any such Additional or Deputy Labour Welfare Commissioner shall exercise and discharge the powers and functions so specified.
- Appointment 9. (1) The State Government may appoint one or more Inspector for the whole of of Inspectors the State or for any specified area or areas therein to inspect records in connection with the sums paid or payable in the Fund.

1. Substituted by section 6(i) of U.P. Act No. 17 of 1978.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
15]

[Section 10-

- (2) The Inspector may-

(a) with such assistance, if any, as he thinks fit, enter at any reasonable time, any premises of an establishment for the purposes of inspection; and

(b) exercise such other powers as may be prescribed.

Appointment 10. Subject to such conditions as may be prescribed in this behalf the Board may of other
and appoint such other officers and employees as it considers necessary for the officers
efficient performance of its functions.
employees

Conditions of 11. The method of appointment and the conditions of service including the scales
service of of pay of the officers and employees of the Board, shall--
employees

(a) as respects the Labour Welfare Commissioner, Additional or
Deputy Labour Welfare Commissioner and Inspectors, be such as may be
prescribed ; and

(b) as respects other officers and employees appointed under
section 10, be such a s may be determined by regulations.

CHAPTER V

ADMINISTRATION OF THE FUND AND ACCOUNTS AND AUDIT

Administratio-12. The Fund shall be managed and administered in such manner as may be n and
prescribed.

manag
ement
of the
fund

Investment of 13. Where the moneys in the Fund are not required for being applied at an early fund
date to the purposes of the Act, the same may be invested by the Board in any Act
No. II of securities specified in clauses (a) to (d) and (f) of section 20 of the Indian 1882
Trusts Act, 1882.

Power of 14. The Board may, from time to time, with the previous sanction to the State Board to
Government and subject to the provisions of this act and the rules made borrow
thereunder and to such other conditions as may be fixed by the State
Government in this behalf, borrow any sum required for the purposes of this
Act.

Accounts and 15. (1) The Board shall cause to be maintained such books of account and other
Audit records in relation to the Fund, as may by prescribed.
(2) The Board shall, as soon as may be after the closing of its annual
accounts, prepare an annual statement of accounts in such form and
manner as may be prescribed.
(3) The Fund shall be deemed to be a local fund of a Local Authority and be
audited by the Examiner, Local Fund Accounts, Uttar Pradesh. The
audit report and the action taken thereon shall be intimated by the
Board to the State Government.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
22]

[Section 16-

Publication of 16. The State Government shall publish in the Gazette, each year in the month of
accounts and June or as early thereafter as may be, a statement of accounts and report of
expenditure the activities of the Board relating to the previous financial year.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

Mode of 17. Any sum payable into the Fund under this Act shall, without, prejudice to any recovery of other mode of recovery, be recoverable on behalf of the Board as an arrear of sums payable land revenue into Fund

Directions by 18. (1) The State Government may, from time to time, issue to the Board such State directions as, in its opinion, are necessary or expedient for Carrying out the Government to purposes of this Act. Board

(2) It shall be the duty of the Board to comply with the directions received by it from the State Government under sub-section (1).

Supersession 19. (1) Where the State Government is satisfied that the Board has made default in of performing any duty imposed on it by or under this Act or has abused its Board in powers, the State Government may, by notification in the Gazette, supersede certain cases the Board :

Provided that before notifying the super session of the Board, the State Government shall give a reasonable opportunity to it to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanations and objections; if any, of the Board.

(2) After the super session of the Board, and until it is reconstituted, which shall be done in the prescribed manner, the powers, duties and functions of the Board under the Act shall be exercised or performed by such officer or officers as may be appointed by the State Government for the purpose.

Members of 20. The members of the Board, the Labour Welfare Commissioner and all other Board, labour officers and servants of the Board shall be deemed to be public servants Welfare Commissioner within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

and all
other
officers
and
servants
of
Board to
be
public
servants
Act no.
45 of
1860

Protection to 21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for persons acting anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or in good faith any rule or order made or deemed to be made thereunder.

Validity of the 22. No act or proceeding of the Board shall be questioned or deemed to be invalid acts and by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution of the proceedings of Board or that it is discovered subsequently that some person who was not the Board entitled so to as attended, voted or otherwise took part in the proceedings.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
25]

[Section 23-

Amendment of 23. In sub-section (8) of section 8 of the Payment of Wages Act, 1936, the section 8 of following proviso shall, in its application to Uttar Pradesh, be inserted before Act IV of 1936 the explanation :--

“Provided that in the case of any factory or establishment to which the Uttar Pradesh Welfare Fund Act, 1965, applies all such

realizations shall be paid into the Fund established under the said Act.”

Power of State 24. The State Government or any officer authorized by the State Government in Government of this behalf may, for supervising the working of the Board, call for the records authorized of the Board, inspect the same, and give such direction to Board as it may officer to call consider expedient.

for records etc.

Power to make 25. (1) The State Government may, by notification in the Gazette and subject to condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this the rules Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters; namely-

- (a) manner of collection of sums specified in sub-section (2) of section 3;
- (b) number of representatives of employers and employees on the Board and manner and conditions of their nominations;
- (c) number of independent members, including women members, of the Board;
- (d) allowances payable to the members of the Board;
- (e) matters relating to powers of the authority referred to in section 6 in the investigation of claims to unpaid accumulations;
- (f) terms and conditions of appointment of Labour Welfare Commissioner, Additional Labour Welfare Commissioner, Deputy Labour Welfare Commissioners and Inspectors;
- (g) conditions subject to which other officers and employees may be appointed by the Board;
- (h) the procedure for defraying expenditure incurred in administering the Fund ;
- (i) the duties and the powers of the Inspectors;
- (j) delegation of powers and functions of the Board to the Labour Welfare Commissioner, Additional or Deputy Labour Welfare Commissioner and conditions and limitation subject to which power may be exercised or functions discharged by them ;
- (k) registers and records to be maintained under this Act;
- (l) the publication of the annual statement of accounts and report of the activities financed from the Fund;
- (m) any other matter which under this Act has to be or may be prescribed.

[The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund, Act, 1965]
27]

[Section 26-

- (3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while It is one session, for a total period of fourteen days, extending in its one session or more than one successive session and shall unless some later date is appointed by the State Government, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modification of annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make so however, that

- any such modifications or annulments shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.
- Regulations make 26. (1) The Board may, with the previous sanction of the State Government, regulations, by notification in the Gazette, consistent, with the provisions of this Act and the rules made thereunder.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may make regulations providing for --
- (a) procedure in regard to the transaction of business of the Board;
 - (b) manner of publication of notices inviting claims to unpaid accumulations;
 - (c) method and terms and conditions of appointment of officers (other than Labour Welfare Commissioner, Additional Labour Welfare Commissioner, Deputy Labour Commissioner and Inspectors), and employees of the Board; and
 - (d) any other matter which has to be or may be provided for by regulations.
- Repeal of U.P. Act XXXVII of 1956 27. The Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1956 is hereby repealed.

